रजिस्ट्री सं० डी- 222

REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 18, 1971 (भाद्र 27, 1893)

No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 18, 1971 (BHADRA 27, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Line Delhi Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	819
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1361
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1065
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . .	—
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	3413
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं .	4561
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	825
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1215
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	341
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं .	117
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . .	2229
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	177
पूरक संख्या 36—	
21 अगस्त 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	1479
31 जुलाई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े .	1487

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	819
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1361
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notification regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1065
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3413
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	4561
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	825
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	1215
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	341
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	117
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2229
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	177
SUPPLEMENT NO. 36	
Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 21st August 1971	1479
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 31th July 1971	1487

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 1971

सं० 59-प्रेज/71—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री श्याम बिहारी रिछारिया,
मंडल पुलिस निरीक्षक,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

डाकू जगमोहन सिंह के गिरोह में से बचे डाकू परमाल काच्छी ने अपना गिरोह बनाने का प्रयत्न किया । 3 फरवरी, 1970 को सूचना मिली कि परमाल काछी अपने तीन साथियों के साथ गांव अजनोधा के समीप खेतों में खड़ी फसल के बीच छुपा हुआ है । पुलिस द्वारा छापे का आयोजन किया गया और खेत को घेर लिया गया । दो डाकुओं ने गोलियों के घेरे से बचकर भागने का प्रयत्न किया किन्तु पुलिस दल द्वारा गोली से मार दिये गये । गिरोह का नेता परमाल काछी फिर भी छुपा रहा । तब श्री रिछारिया ने खेत में घुसने और डाकू को ढूंढने का निश्चय किया । जब वे खेत में खोज रहे थे तो डाकू परमाल काछी ने पुलिस दल पर गोली चला दी । दोनों ओर से गोलियां चलीं जिस में वह डाकू मारा गया । एक अपहृत व्यक्ति को बचा लिया गया

इस मुठभेड़ में श्री श्याम बिहारी रिछारिया ने अत्यन्त उत्कृष्ट वीरता तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 फरवरी 1970 से दिया जायेगा ।

सं० 60 प्रेज 71—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एम० एस० नेगी,
जमादार,
8 वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल । **(स्वर्गीय)**

श्री बख्तावर सिंह,
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल । **(स्वर्गीय)**

श्री उदय राम,
हैड कांस्टेबल,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22 सितम्बर 1970 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की 8वीं बटालियन की एक कम्पनी के एक प्रशासनिक गश्ती दस्ते को प्रातः कोई 7.30 बजे सरकारी डाक के साथ करोंग जाने का आदेश दिया गया । लगभग 9 बजे पूर्वाह्न जब गश्ती दस्ता गांव भेंसा के समीप नेपाली करोंग के ऊपर वाले रास्ते से पहुंचा तो विरोधियों के गिरोह ने एक गोली चलाई और उसके तुरन्त बाद सड़क के मोड़ पर गश्ती दस्ते पर घात लगा दी । विरोधियों ने विभिन्न दिशाओं से स्वचालित हथियारों से गश्ती दस्ते पर भारी गोलाबारी आरम्भ कर दी । परन्तु गश्ती दस्ते के कमांडर श्री नेगी अपने सिपाहियाना कर्तव्य के प्रति सच्चे रहे और भीषण गोलाबारी की उपेक्षा किये बिना शत्रु के मोर्चे की ओर बढ़े । उनके साथ तीन कांस्टबल भी थे । वे सभी शत्रु के आमने सामने आ गये । गश्ती दस्ते के कमांडर के "आक्रमण करो" आदेश का पालन करने के लिए जब वे आगे बढ़े तो उनमें से एक मारा गया ।

इसी बीच हैड कांस्टेबल श्री उदय राम, जो पीछे एक सैक्शन का नेतृत्व कर रहे थे, वहां आ पहुंचे और उनके सैक्शन कमांडर ने विरोधियों को दूर भगाने के लिए जवानों को आदेश दिया । इस साहसिक कार्य में कांस्टेबल बख्तावर सिंह गम्भीर रूप से घायल हुए परन्तु फिर भी वे रेंगते रहे और अपनी राइफल से गोली चलाते रहे ।

इस मुठभेड़ में श्री नेगी अपने साथियों सहित इस उद्देश्य से विरोधियों की ओर आगे बढ़े ताकि उनका ध्यान बट जाये और गश्ती दस्ते को खत्म करने से उन्हें रोका जाय और साथ साथ पीछे से आती हुई गश्ती दस्ते की टुकड़ी को मोर्चा सम्भालने के लिए कुछ समय मिल जाय । गोलियों से विंधे श्री नेगी तथा उनके साथियों के शव विरोधियों के एल० एम० जी० मोर्चे के पास पाये गये ।

इस प्रकार उन्होंने और उनके साथियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। श्री उदय राम ने अपने होश नहीं खोये। अपने एल० एम० जी० वाले जवान से संकेत मिलने पर श्री उदय राम ने उन्हें और मगजीन पहुंचाने का प्रयास किया। ऐसा करते हुए उनकी बगल में गोली लगी, पर फिर भी वे अपने बजवानों को गोलाबारी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। यह मुठभेड़ कोई आध घंटे तक चलती रही जब तक कि कुमुक न आ पहुंची।

इस प्रकार सर्वश्री एम० एल० नेगी, बख्तावर सिंह और उदय राम ने इस मुठभेड़ में प्रशंसनीय साहस तथा उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया।

2 ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस तथा अग्नि शमन सेवा पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 सितम्बर 1970 से दिया जायेगा।

सं० 61-प्रेज/71—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आशा राम,
हैड कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल। (स्वर्गीय)

श्री कैलाश चन्द्र,
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल। (स्वर्गीय)

श्री शंकर दत्त,
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल। (स्वर्गीय)

श्री जीवन चन्द्र,
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल। (स्वर्गीय)

सेवाओं का विवरण जिन के लिये पदक प्रदान किया गया।

22 सितम्बर, 1970 को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की 8वीं बटालियन की एक कम्पनी के एक प्रशासनिक गश्ती दस्ते को प्रातः कोई 7-30 बजे सरकारी डाक के साथ करोंग जाने का आदेश दिया गया। लगभग 9 बजे पूर्वाह्न जब गश्ती दस्ता गांव मेंसा के समीप नेपाली करोंग के ऊपर वाले रास्ते से पहुंचा तो विरोधियों के गिरोह ने एक गोली चलाई और उसके तुरन्त बाद सड़क के मोड़ पर गश्ती दस्ते पर घात लगा दी। विरोधियों ने विभिन्न दिशाओं से गश्ती दल पर भारी गोलाबारी आरम्भ कर दी। अपने कमाण्डर के निर्देश पर सर्वश्री आशा राम जीवन चन्द्र और शंकर दत्त अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए तुरन्त शत्रु के मोर्चे की ओर बढ़े। इस प्रकार वे सभी हथियारों से लैस अपने शत्रुओं के आमने-सामने आ गये और वीरगति को प्राप्त हुए। पैट्रोल कमाण्डर ने श्री कैलाश चन्द्र को आक्रमण करने का आदेश दिया। अपनी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न करते हुए वे शत्रु के मार्चे की ओर आगे बढ़े। इस कार्यवाही में वे मारे गये।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आशा राम कैलाश चन्द्र, जीवन चन्द्र और शंकर दत्त ने उत्कृष्ट साहस का परिचय दिया।

2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहेहैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 22 सितम्बर, 1970 से दिया जायेगा।

सं० 62-प्रेज/71—राष्ट्रपति मैसूर पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

श्री सुगन्नाहल्ली दियावेगौडा नन्जुन्डेगौडा,
पुलिस कांस्टेबल सं० 91,
जिला हसन,
मैसूर। (स्वर्गीय)

सेवाओं का विवरण जिन के लिये पदक प्रदान किया गया।

28 अगस्त, 1969 की रात को जब श्री सुगन्नाहल्ली दियागौडा नन्जुन्डेगोडा अपनी ड्यूटी समाप्त करके सादे कपड़ों में आजाद रोड पर एक होटल में खाना खाने के लिये जा रहेथे, तो उन्होंने देखा कि 30-25 आदमियों की भीड़ गोपाल नामक एक व्यक्ति का, जो शराब पिये हुए था ओर अपने हाथ में छूरा लिए हुए था, पीछा कर रही थी। गोपाल छुरे से भीड़ को डरा रहा था। श्री गौडा ने गोपाल को अपनी ओर आते देखा। उन्होंने गोपाल को पकड़ लिया किन्तु गोपाल ने उनके दाहिने कंधे के नीचे छुरा मारा जिससे उनके फेफडे और धमनी को क्षति पहुंची। बाद में श्री गौडा की अस्पताल में मृत्यु हो गई। अच्छी तरह यह जानते हुये कि वह व्यक्ति हाथ में छुरा लिए हुये है और लोगों को डरा रहा है, श्री गौडा ने उक्त घटना में उस खतरनाक एवं घातक हथियार से लैस व्यक्ति से जूझकर अपने जीवन को खतरे में डालते हुये अपने कर्त्तव्य का पालन किया।

2 यह पदक पुलि पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 28 अगस्त, 1969 से दिया जायेगा।

सं० 63-प्रेज/71—राष्ट्रपति केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री आर० के० यादव,
जमादार,
37वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

जुलाई, 1970 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल की 37वीं बटालियन आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले में तैनात की गई । 29-30 जुलाई, 1970 की रात्रि को स्थानीय पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि रामराय पहाड़ियों में कुछ उग्रपंथी लूट , आग लगाने तथा हत्या करने की तैयारी कर रहे हैं । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के तीन दस्तों के साथ पुलिस दल की एक टुकड़ी तुरन्त उग्रपंथियों के निभृत स्थान पर भेजी गई । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल के एक दस्ते का नेतृत्व जमादार आर० के० यादव कर रहे थे ।

कुछ गाड़ियों द्वारा तथा कुछ पैदल यात्रा करने के बाद 30 जुलाई , 1970 को प्रातः लगभग 5 बजे पुलिस दल उस स्थान पर पहुंचा जहां उग्रपंथियों के छिपने की आशंका थी । कार्यवाही के लिए पुलिस दल को दो टुकड़ियों में बाट दिया गया । श्री यादव के नेतृत्व वाली टुकड़ी कुछ स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ उस स्थान की ओर बढ़ी जहां उग्रपंथियों के छिपने की आशंका थी । दस उग्रपंथियों ने पुलिस दल और जमादार आर० के० यादव पर आक्रमण किया । उन्होंने पुलिस दल पर अपरिष्कृत बम फैंके । पुलिस उप-अधीक्षक के आदेश पर स्थानीय पुलिस दल ने आत्मा-रक्षा में पिस्तौलों से एक बार गोली चलाई किन्तु उग्रपंथियों ने हमला जारी रखा । तब पुलिस उप-अधीक्षक ने श्री यादव और तीन अन्य कांस्टेबलों को, जिन्होंने श्री यादव के साथ लेटकर मोर्चा सम्भाल रखा था, उग्रपंथियों पर आक्रमण करने का आदेश दिया । श्री यादव जिजी सुरक्षा की बिल्कुल परवाह न कर रेंगकर उग्रपंथियों के निभृत स्थान की ओर बढ़े और तीन उग्रपंथी नेताओं को मार डाला ।

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० यादव ने उत्कृष्ट शौर्य और सूझबूझ तथा धैर्यशील कर्त्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 30 जुलाई 1970 से दिया जायेगा ।

सं० 64-प्रेज/71—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रघुनन्दन शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना अधिकारी, अम्बाह,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

श्री बलराम सिंह,
कांस्टेबल नं० 60,
पुलिस थाना, अम्बाह,
जिला मुरैना,
मध्य प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

डाकू रिसाल सिंह ने गांव रोड़ में अनेक हत्याएं की ओर अपना एक गिरोह बना लिया । 24 सितम्बर 1970 को पुलिस के सब-इंस्पेक्टर श्री रघुनन्दन शर्मा को गांव रोड़ की तंग घाटियों में साथियों के सहित डाकू रिसाल सिंह की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली । श्री शर्मा ने उपलब्ध पुलिस दल को एकत्रित किया और गिरोह का मुकाबला करने के लिए रवाना हो गये । खोज करने पर गिरोह का पता चल गया और डाकुओं तथा पुलिस दल के बीच गोलियां चलीं। डाकुओं का गिरोह पुलिस दल से बच निकलने में सफल हो गया और उससे भागने का प्रयत्न किया । किन्तु श्री शर्मा तथा कांस्टेबल बलराम सिंह ने उनका पीछा किया और गिरोह के नेता रिसाल सिंह को घेर लिया । श्री शर्मा और श्री बलराम सिंह की डाकू के साथ हाथापाई हुई किन्तु डाकू ने अपनी राइफल के हत्थे से बलराम सिंह पर प्रहार किया और उनके बाजू की आस्थि भंग कर दिया । श्री बलराम सिंह घायल अवस्था में भी डाकू से संघर्ष करते रहे । फिर डाकू ने श्री शर्मा को गोली मारने का प्रयत्न किया किन्तु श्री शर्मा ने डाकू की बन्दूक की नाल को पकड़ लिया और गोली चूक गई । डाकू ने अपनी राइफल पुनः भर ली किन्तु इससे पहले कि डाकू सब-इंस्पेक्टर को गोली मारता श्री शर्मा ने डाकू को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया ।

इस मुठ-भेड़ में श्री रघुनन्दन शर्मा और श्री बलराम सिंह ने महान कर्त्तव्य निष्ठा और वीरता का परिचय दिया ।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाकं 24 सितम्बर 1970 से दिया जायेगा ।

नागेन्द्र सिंह,
राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(संख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 अगस्त 1971

सं० एम०-13013/1/71-रा० न० सर्वे-I—इस विभाग की अधिसूचनायें सं० 8/7/66-सं०II दिनांक 5 दिसम्बर 1966 और सं० 11/4/68-तकनीकी दिनांक 27 अप्रैल 1970, के क्रम में निम्नलिखित अधिकारियों को औद्योगिक सांख्यिकी की प्रगति संबधी स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में नामांकित कर लिया गया है—

1. श्री के० एल० सक्सेना के स्थान पर
श्री वी० एन० आंबले,
संयुक्त निदेशक,
केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन,

2. हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के आर्थिक एवं सांख्यिकी सलाहकार के स्थान पर तमिलनाडु सरकार, मद्रास, के सांख्यिकी निदेशक को 5 दिसम्बर 1970 से एक वर्ष की अवधि के लिये ।

एच० एल० कोहली, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 22 जुलाई, 1971

संकल्प

सं० 24(1) (42)/70-कृषि—योजना आयोग के दिनांक 28 मार्च, 1970 के संकल्प सं० ए० 46011/1/70-प्रशासन-1 में, जिसके अन्तर्गत ग्राम विकास तथा रोजगार के समन्वय के लिये एक केन्द्रीय समिति का गठन किया गया था, आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने शीघ्र ही इस समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिये डाक्टर बी० एस० मिन्हास, सदस्य, योजना आयोग को मनोनीत करने का निर्णय किया है। इस समिति का उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य वही होंगे जिन्हें उपर्युक्त संकल्प में मनोनीत किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, सभी राज्य सरकारों, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम कृषि पुनर्वित निगम, ग्राम बिजलीकरण निगम, आदि को भेज दी जाये। यह आदेश भी दिया जाता है कि सर्वसाधारण की सूचना के लिये इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाये।

अशोक मित्र, सचिव,

विदेश व्यापार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 1971

शुद्धि-पत्र

सं० 1/8/70-एच० सी०—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/8/70-एच० सी० दिनांक 7 जनवरी, 1971 में, जैसा कि इसमें श्रीमती इंदिरा लूथरा के संबंध में इस मंत्रालय के सम-संख्या के शुद्धि-पत्र दिनांक 14 मई 1971 द्वारा संशोधन किया गया था, दिया गया पता निम्नलिखित रूप में और आगे संशोधन किया गया है :—

क्रमांक	के लिये	पढ़ें
1	2	3
37.	श्रीमती इंदिरा लूथरा, "कुआसर एनवर" त्रिपुरा कैसल रोड, शिलांग।	श्रीमती इंदिरा लूथरा, द्वारा श्री पी० एन० लूथरा, पुनर्वास विभाग, शाखा सचिवालय, 26, शेक्सपीयर सारनी, कलकत्ता-17।

दिनांक अगस्त, 1971

सं० 1/8/70-एच० सी०—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/8/70-एच० सी० दिनांक 7 जनवरी, 1971 में, जैसा कि इस में बाद में संशोधन किया गया था, दिये गये पतों के स्थान पर निम्नलिखित पते रखे जायें :—

क्रमांक	के लिये	पढ़ें
1	2	3
7.	श्री तुलसी दास जादव, 150, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली।	श्री तुलसी दास जादव, भूतपूर्व एम० पी० 195, मित्रा नगर, शोलापुर।
23.	श्रीमती प्रकाश मलिक, 28, गोल्फ लिंक, नई दिल्ली।	श्रीमती प्रकाश मलिक, 7, पालम मार्ग, वसंत विहार, नई दल्ली-23।

दिनांक, 19 अगस्त 1971

सं० 1/8/70-एच० सी०:—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1/8/70-एच० सी० दिनांक 7 जनवरी, 1971 में, जैसा कि इसमें बाद में संशोधन किया गया था, दिये गये पते के स्थान पर निम्नलिखित पता रखा जाये :—

क्रम सं०	के स्थान पर	रखिए
34.	श्री सूर्य प्रसाद, 91, खौदापथी कालोनी, लश्कर (मध्य प्रदेश)	श्री सूर्य प्रसाद' मधवगंज, लश्कर (मध्य प्रदेश)

टी० एस० परमेश्वरन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1971

सं० 3 (161)-टैक्स (डी०)/70—राष्ट्रपति श्री के० पी० नारायण को पटसन आयुक्त के कार्यालय में कार्यकारी अधिकारी के पद पर 1 जुलाई, 1971 से तीन महीने की और अवधि के लिए अथवा उस तारीख तक के लिए, जब तक यह पद नियमित रूप से न भरा जाए, जो भी पहले हो, स्थानापन्न रूप में काम करते रहने की अनुमति देते हैं।

ब्रह्मदेव कुमार, संयुक्त सचिव

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 1971

संकल्प

सं० 28 (11)/70-ओ० आर०:—पैट्रोलियम तथा रसायन और खान तथा धातु मंत्रालय (पैट्रोलियम विभाग') के संकल्प संख्या 28 (11)/70 ओ० आर० दिनांक 22 अगस्त, 1970 का आंशिक संशोधन करते हुए, काण्डिका (पैराग्राफ) 4 के स्थान पर निम्न कण्डिका प्रतिस्थापित की जाए :—

"आयोग अपनी रिपोर्ट 28 फरवरी, 1972 तक प्रस्तुत करेगा"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत के समस्त मंत्रालयों, विभागों, पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य समस्त संबंधित संस्थानों को भेजा जाए ।

ई० एन० मंगत राय, विशेष सचिव

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 21 अगस्त 1971

संकल्प

सं० 11 (27)/71-एल० आई० II—विस्फोस्टक समिति (एक्सप्लोसिव्स कमेटी) ने जिसका गठन भारत सरकार के संकल्प सं० 41 (8)/68-एल० आई० (1) दिनांक 26 सितम्बर, 1966 के द्वारा भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 तथा विस्फोटक नियम, 1940 की परीक्षा करने के लिये लिया गया था अपनी रिपोर्ट (भाग-1) प्रस्तुत करते समय जिस पर सरकारी आदेश पहले से ही जारी कर दिये गये हैं संकल्प सं० 38 (8)/68 एल० आई० (1) दिनांक 28 अप्रैल, 1969 के द्वारा) गैस सिलेंडर नियम 1940 तथा अधिसूचना सं० एम०-1268(1) दिनांक 9 जनवरी, 1969 की भी परीक्षा करने की आवश्यकता समझती है। जिसे कि भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन बनाया गया था । इसके अनुसार विस्फोटक समिति के देश की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुकूल जहां कहीं आवश्यक है, इन नियमों की परीक्षा करने तथा उपयुक्त संशोधन तथा पुरीक्षण करने का सुझाव देने के लिये तथा व्यापार के कुछ सदस्यों की एक उप-समिति बनाई है ।

2. गैस-सिलेंडर नियम उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन विस्फोटक समिति को 24 सितम्बर, 1969 को दे दिया है जिसमें लगभग सभी सिफारिशें दी गई हैं और यह सरकार को फरवरी, 1970 को प्रतिवेदन के भाग 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया है । उप-समिति के प्रतिवेदन में की गई प्रमुख सिफारिशें और उस पर किये गये सरकार के निर्णय इस प्रकार हैं :—

सिफारिशें	सरकार के निर्णय
1 सिलेंडरों तथा बाल्बों का निर्माण नियमों के अधीन किया जाना ।	
पैराग्राफ 8	
समिति का यह निष्कर्ष है कि गैस सिलेंडर नियम, 1940 और न अन्य कोई कानून इस समय सिलेंडरों, वाल्बों तथा अनफार्ड-प्रैसर-वेसल्स के निर्माण को विनियमित करता है परिणामतः घटिया किस्म के सिलेंडरों तथा वाल्बों का निर्माण असावधानी से हुआ है जिससे कि जनता की सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा है । उन्होंने समर्थ सिफारिश की है कि शीघ्र ही इन वस्तुओं के निर्माण को कानून के अन्तर्गत लिया जाये ।	सरकार ने सिफारिश मान ली है यह शीघ्र ही संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा इसे कार्यान्वित करने करने के लिये कदम उठाये जाएंगे ।
2 स्टैटिक अनफायर्ड स्टोरेज प्रैसर वैसल्स तथा काफी मात्रा में कम्प्रेस्ड तरल गैसों का ले जाने वाली टैंक गाड़ियों को नियंत्रित करने के लिए अलग से एक कानून बनाना ।	
(पैराग्राफ 10)	
समिति का यह निष्कर्ष है कि इस इस प्रकार के वैसल्स तथा टैंक गाड़ियों में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है और देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे इनकी डिजाइन, ढांचे, निर्माण और लगाने का नियंत्रण किया जाता हो । उन्होंने आगे यह भी प्रश्न उठाया है कि इस तह के वैसल्स के लिये उपयोगी शर्तें गैस सिलेंडरों की शर्तों से भिन्न हैं किन्तु इनमें निहित खतरा वही है जोकि कम दबाव वाले गैस सिलेंडरों तथा बायलरों में है जो अलग नियमों द्वारा नियंत्रित किये जाते हैं । अतः समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि इस प्रयोजन के लिये अलग से एक नियम, विस्फोटक अधिनियम के अधीन बनाया जाना चाहिए ताकि इसे विस्फोटक विभाग द्वारा प्रशासित किया जाए ।	सरकार ने सिफारिश मान ली है ।
3 गैस-सिलेंडरों के भण्डारों (स्टोरेज) के केन्द्रों और भरने के स्थानों के लिये लाइसेंस देना ।	
पैराग्राफ 16	
समिति का यह निष्कर्ष है कि गैस-भरे जाने वाले केन्द्रों तथा भरे हुए गैस सिलेंडरों के भण्डारों (स्टोरेज) स्थानों के नियंत्रण से सम्बन्धित विद्यमान नियमों में बड़ी कमी है । उन्होंने ऐसे कारण देखे हैं जिनमें न तो उपकरण है न कर्मचारी ही तथा स्टोरेज स्थानों में भरे हुए तथा परीक्षण किये हुए सिलेंडरों का कोई भी अभिलेख नहीं रखा जाता है । अतः विस्फोटक विभाग ऐसे स्थानों के बारे में कोई प्रमाणित जानकारी देने में असमर्थ है और नियमों को उचित रूप से लागू नहीं कर सकता है । अतः समिति इस मामले में अतिरिक्त व्यवस्था करके उन सभी क्षेत्रों को जहां	सरकार ने सिफारिश मान ली है इसे यथाशीघ्र लागू करने के लिए कदम उठाये जाएंगे ।

गैस सिलेंडर भरे जाते हैं तथा गैस भरे गये सिलेंडरों के स्टोरेज स्थानों पर लाइसेंस लगा दिया जाना चाहिए।	
4 गैस सिलेंडरों का उचित रूप से तथा नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है इस सुनिश्चय के लिए परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।	
(पैराग्राफ-14)	
समिति का यह कथन है कि सिलेंडरों के परीक्षण तथा सावधिक परीक्षण को नियंत्रित करने वाला वर्तमान नियम अपर्याप्त है। सिलेंडरों का प्ररीक्षण बिना किसी उचित उपकरण तथा गलत तरीके से किया जाता है जोकि मात्र औपचारिकता है। वर्तमान कठिनाइयों तथा अन्य उन्नतिशील देशों में अपनाए जाने वाले तरीकों को ध्यान में रखते हुए समिति ने मुख्य विस्फोटक निरीक्षक की स्वीकृति से एक अलग परीक्षण केन्द्र स्थापित करने की सिफारिश की है ताकि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि गैस सिलेंडरों का उचित रूप से तथा नियमित रूप से परीक्षण किया जाता है तथा उनकी जांच की जाती है। उन्होंने इस प्रकार के सिलेंडरों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के सावधिक परीक्षणों और जांच सम्बन्धी, तरीकों प्रविधियों प्रक्रियाओं तथा ऐसे परीक्षणों के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों की योग्यताओं के बारे में भी विशेष सिफारिशें की हैं।	सरकार ने सिफारिश मान ली है फिर भी ; वित्तीय कठिनाइयों के बारे में सरकार की पहले स्वीकृत लेने पर ही इस सिफारिश को कार्यान्वित किया जा सकेगा।
5 विद्यमान नियमों में अन्य विविध संशोधन पुर्ननिरीक्षण	
समिति ने गैस-सिलेंडरों नियम, 1940 के 2 से 19 तक के विद्यमान नियमों में विविध संशोधनों/सुधारों के अन्य विभिन्न सुझाव दिये है ताकि उनमें जनता तथा सम्पत्ति और उद्योगों के हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अधिक व्यापक, विस्तृत सुधार किये जा सकें। ये सब लगभग तकनीकी प्रकार के हैं।	सरकार ने सिफारिश को मान लिया है।
6 समिति द्वारा अतिरिक्त उपबन्धों का सुझाव।	
पैराग्राफ ३०स४७	
गैस-सिलेंडरों नियम, 1940 के विद्यमान उपबन्धों में संशोधन/पुर्ननिरीक्षण/सुधार करने के अतिरिक्त जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। समिति ने नियमों में बहुत से अतरिक्त उपबन्ध करने की सिफारिश की है।	सरकार ने सिफारिश मान ली है।
ये उपबन्ध निम्नलिखित से सम्बन्धित हैं :—	
(1) सिलेंडरों की सुपुर्दगी और प्रेषण।	सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया है।
(2) गैस भरे जाने वाले स्थानों तथा भण्डारों (स्टोरेज) के समीप अग्नि, दियासलाई, धूम्रपान, चिराग तथा खतरनाक चीजों पर रोक ; नाबालिगों तथा नशा किए हुए व्यक्तियों को काम करने तथा गैस-सिलेंडरों के भण्डारों में कामपर रखने पर नियंत्रण रखना।	
(3) अधिक जहरीली गैसों के लिए विशेष सावधानी रखना।	
(4) रद्दी सिलेंडरों को समाप्त करना।	
(5) सिलेंडरों के इस्तेमाल पर पाबन्दी लगाना।	
(6) निर्यात के लिए विदेश में बनाये गये सिलेंडरों को भरना।	
(7) दुर्घटना से सावधानी के पूर्वोपाय बरतना।	
(8) विस्फोटक नियम के अधीन इन्हें प्राप्त करने के लिए लाइसेंस हेतु विशेष उपबन्ध करना जिसका उपबन्ध इस समय वर्तमान नियम में नहीं है।	
(9) थल, समुद्र तथा हवाई मार्गों द्वारा सिलेंडर मंगाने के लिए लाइसेंस देना।	
(10) भरने वालों तथा भण्डारों (स्टोरेज) आदि द्वारा रिकार्ड तथा लेखों का रखा जाना।	
7 विलयित एसिटिलीन गैस-सिलेंडरों के लिये एक अलग विशद अध्याय की व्यवस्था करना।	
पैराग्राफ ४८	
ये सिलेंडर इस समय सरकार की अधिसूचना सं० एम० 1278 (1) दिनांक 9 जनवरी, 1939 के द्वारा	सरकार ने सिफारिश मान ली है।

विनियमित किये जाते हैं जोकि विद्यमान गैस सिलेंडर नियमों का अंग नहीं है । इसका विनियमन अलग से किया जाता था क्योंकि इस गैस की अधिक खतरनाक वस्तुओं को विशेष सावधानी और विशेष स्थिति में रखा जाता है । समिति यह महसूस करती है कि क्योंकि वे सभी कारखाने जो सिलेंडरों में एसिटिलीन गैस भरते हैं वे सिलेंडरों में आक्सीजन गैस भी भरते हैं, उनमें एकरूपता और सुन्दर समन्वय हो सके इसलिए गैस सिलेंडर नियमों में घुली एसिटिलीन गैस सिलेंडर सम्बन्धी एक अलग अध्याय की व्यवस्था की है जिसमें वर्तमान अधिसूचना की गैस सभी विद्यमान शर्तें दी गई हैं । उन्होंने गैस सिलेंडर नियमों के एक नये अध्याय में इस प्रकार के सिलेंडरों में सम्मिलित करने के लिए अन्य बहुत सी व्यवस्थायें करने की भी सिफारिश की है ।

8 गैस सिलेंडरों को भरने तथा उनका परीक्षण करने तथा गैस भरे जाने वाले केन्द्रों में निरीक्षण कार्यों को करने वाले व्यक्तियों को सक्षम होने का प्रमाण पत्र देने के लिये एक बोर्ड की स्थापना करना ।

(पैराग्राफ 42)

समिति ने उपर्युक्त प्रयोजन के लिए एक बोर्ड स्थापित करने की सिफारिश की है उन्होंने यह भी सिफारिश की है कि नियमों में इस बात की भी व्यवस्था की जानी चाहिए कि गैस भरे जाने वाले केन्द्रों तथा भण्डारों (स्टोरेज स्थानों) में केवल उन्हीं व्यक्तियों को रखा जाएगा जो प्रस्तावित बोर्ड द्वारा सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किये होंगे ।	सरकार ने अभी इस सम्बन्ध में पूरी जांच किये बिना प्रस्तावित बोर्ड की स्थापना करना स्वीकार नहीं किया है । किन्तु उन्होंने इस सिफारिश पर मुख्य निरीक्षक विस्फोटक के परामर्श से विचार करने ध्यान दिया हैं

9. विस्फोटक विभाग को सजीव तथा गतिशील संगठन बनाने के लिये, सलाह देने हेतु एक तकनीकी सलाहकार समिति की स्थापना करना ।

(पैराग्राफ 43)

समिति ने यह सुझाव दिया है कि यद्यपि मुख्य निरीक्षक विस्फोटक को जब कभी परीक्षण, निरीक्षण आदि की समस्याएं पैदा होती हैं, तो नियमो में उसे ढील देने की शक्ति है तो भी उत्पादन के क्षेत्र में त्वरित वकासों के कारण यह वाच्छनीय है कि परामर्श विचार विमर्श और सलाह लेने के लिए प्रमुख तकनीकी विकासों को गैस सिलेंडरों नियमों के अधीन लाने हेतु सलाह लेने के लिए नई वस्तुएं निर्माण प्रक्रिया परीक्षण आदि पर विचार करने के लिए एक सलाहकार समिति होनी चाहिए प्रस्तावित समिति की बैठक समय समय पर होनी चाहिए ।	सरकार ने सिफारिश मान ली है । मुख्य निरीक्षक विस्फोटक समिति के गठन के लिये सरकार के विचार करने तथा पूर्वानुमति लेने के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करेगा ।

10. इसे जीवन प्रदान करने तथा संगठन को सक्रिया बनाने के लिये विस्फोटक विभाग का पुर्नगठन करना ।

(पैरा-54)

समिति का यह निष्कर्ष है कि विस्फोटक विभाग के कर्मचारियों के पास पहले से ही कार्य अधिक है और उचित रूप से गैस सिलेंडर नियम के वर्तमान के रूप में प्रयोग करने में असमर्थ है । समिति की वर्तमान सिफारिशों को कार्यान्वित करने जिसे कि सरकार ने मान लिया है तथा संशोधित नियमों के प्रयोग से संबंधित कार्य और भी अधिक होगा । अतः नियमों का उचित तथा पूर्ण प्रयोग पुर्नगठन करने की सिफारिश की है :—	सरकार ने इस शर्त पर यह सिफारिश मान ली है कि इसे कार्यान्वित करने से पहले सरकार की अनुमति लेना आवश्यक होगा ।

(क) विभाग को गैस सिलेंडर नियमों का प्रयोग कराने के लिये उप-मुख्य विस्फोटक निरीक्षक के पद के समकक्ष का एक पूर्णकालिक अधिकारी जिसके साथ पूरे कर्मचारी हों का एक अलग स्कन्ध होना चाहिए ।

(ख) प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के पास उस क्षेत्रीय कार्यालय के सर्व-' कार्याधिकारी के अधीन एक

पूर्णकालिक विस्फोटक निरीक्षक हो, जिसके अन्तर्गत एक अलग प्रकोष्ठ होना चाहिए ।	
11 विस्फोटक विभाग के कर्मचारियों को नई भर्ती की परिवीक्षा अवधि में तथा सेवा काल में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम दोनों स्थिति में प्रशिक्षण देना ।	
समिति ने सुझाव दिया है कि विस्फोटक विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा उनको नियमों को उचित रूप से लागू करने के सभी पहलुओं पर गैस-सिलेंडर उद्योग की कार्य प्रणाली से पूर्ण परिचित कराने के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम कराना चाहिए । समिति ने, इस सुझाव को किस तरीके से कार्यान्वित किया जाए, इसका निर्णय मुख्य विस्फोटक निरीक्षक के ऊपर छोड़ दिया है ।	सरकार ने यह सिफारिश मान ली है । मुख्य विस्फोटक निरीक्षक इस मामले की आगे जांच करेगा और इसके कार्यान्वयन के पहले सरकार की पूर्वानुमति लेनी होगी ।
12 **दक्षता प्रमाण पत्र**	
समिति ने सुझाव दिया है कि यदि सक्षमता प्रमाण पत्र देने के लिये बोर्ड की स्थापना करने की सिफारिश तत्काल स्वीकार नहीं की जाती है तो ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे कि इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि सिलेंडर बनाने वाले कारखानों तथा भरने वाले केन्द्रों का प्रभारी सक्षम व्यक्ति ही हो तथा उसे नियमों का पूर्ण ज्ञान भी हो ।	मुख्य निरीक्षक विस्फोटक सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए बोर्ड की स्थापना करने के बारे में लिये गये सरकारी निर्णय को ध्यान में रखते हुए समिति के सुझाव पर विचार करे तथा इस मामले में सरकार की स्वीकृति के लिये प्रस्तावों सहित यदि कोई प्रस्ताव हो रिपोर्ट दें ।
13 विस्फोटक विभाग में एक पूर्णकालिक विशेषाधिकारी के रूप में एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किये जाने का सुझाव जो कि गैस-सिलेंडर नियम के मामले में समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये विभिन्न प्रस्तावों को तैयार करेगा तथा उन्हें आगे बढ़ायेगा ।	सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए तथा इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

सी० बालसुब्रह्मण्यम, संयुक्त सचिव

कृषि मंत्रालय

(सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1971

सं० एल०/11011/7/70-कोर्ड—भारत सरकार ने अपनी 4 मार्च 1971 की अधिसूचना संख्या एल०1 1011/7/70-कोर्ड में एक बहु-एकक सहकारी समिति विधान विशेषज्ञ समिति गठित की थी । इस समिति ने जिस अवधि में अपनी रिपोर्ट देनी है वह एतद्द्वारा 31 दिसम्बर, 1971 तक बढ़ाई जाती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों एवं सभी अन्य संबंधितों को भेजी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह अधिसूचना सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाय ।

के० एस० बावा संयुक्त सचिव,

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

समाज कल्याण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 1971

संकल्प

सं० 13/2/71-आर० यू०—इस विभाग के संकल्प सं० 31/2/70 आर० यू० दिनांक 31 अगस्त 1971 के अनुसरण में भारत सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को इस संकल्प की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिये शिखर आदिम जाति सहकारी संगठनों की समन्वय समिति के सदस्य नामित करती है :—

1. श्री के० जी० एस० पिशारोडी, महानिदेशक तथा भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली ।	अध्यक्ष
2. श्री वी० जी० पुराणिक, निदेशक (प्रोसेसिन्ग), राष्ट्रीय सहकारिता, विकास निगम, सी०-56-साऊथ एक्सटेंशन (2), नई दिल्ली-49 ।	सदस्य
3. जंगलात के सहायक महानिरीक्षक, (वन उद्योग), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
4. श्री ए० सरकार, निदेशक, सहकारिता, विभाग, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली ।	सदस्य,

5. श्री बी० डी० द्विवेदी, मैनेजर, (मार्किटिंग), राष्ट्रीय कृषि सहकारी मार्किटिन्ग फेडरेशन, डी०-44 (एनेक्सी डी० 43), साऊथ एक्सटेंशन, भाग 2, नई दिल्ली। — सदस्य

6. श्री वी० चन्द्र मोवली, प्रबंध नदेशक, गिरिजन सहकारी निगम लिमिटेड, आंध्र प्रदेश, विशाखापटनम। — सदस्य

7. श्री सी० बी० प्रसाद, अध्यक्ष, बिहार राज्य आदिमजाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड, पदेन सचिव, बिहार सरकार, कल्याण विभाग, पटना। — सदस्य

8. श्री व्यांकटराव तानाजी धोबी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जंगल कामगर सहकारी संघ लिमिटेड, एस० एम० सतपुटे का बंगला, "गीतांजली", 23 अशोक नगर, पूना-7। — सदस्य

9. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश, राज्य आदिमजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड, भोपाल। — सदस्य

10. श्री पी० आर० चंद्रा, अध्यक्ष, उड़ीसा राज्य वन उत्पादन मार्किटिंग, सहकारी समिति लिमिटेड, भुवनेश्वर-3। — सदस्य

11. श्री एस० के० कौल, विशेष कार्य अधिकारी, समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। — सदस्य मंत्री

आदेश

आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

दिनांक 31 अगस्त 1971

संकल्प

सं० 13/2/71-आर० यू०—अनेक राज्यों में आदिमजातीय लोगों के कल्याणार्थ तथा आदिमजातीय क्षेत्रों में बलशाली सहकारी वास्तविककार्य का संगठन करके और इस प्रकार विचौलियों को दूर करके विशेष रूप से उन लोगों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये शिखर आदिमजाति सहकारी संगठन स्थापित हो गये हैं।

2. भुवनेश्वर में 2 जून, 1970 को हुई आदिमजाति शिखर सहकारी संगठनों की एक बैठक में यह सिफारिश की गई थी कि शिखर आदिमजाति सहकारी संगठनों की एक समन्वय समिति गठित की जाय। भारत सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया है और उनका मत है कि उक्त सिफारिश के अनुसार एक समन्वय समिति आवश्यक है। इसलिये एक समन्वय समिति गठित करने का संकल्प किया गया है, जिसके कार्य और रचना निम्नलिखित होगी :—

3. समन्वय समिति के कार्य

समन्वय समिति आदिमजाति शिखर सहकारी संगठनों की कार्यवाहियों और कार्य का समन्वय करेगी, बिक्री की व्यवस्था करने में सहायता करेगी तथा मतों, अनुभव और मार्किट आसूचना के विनिमय के लिये व्यवस्था करेगी।

4. समन्वय समिति की रचना

(क) अध्यक्ष महानिदेशक, पिछड़े वर्ग कल्याण तथा भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव, शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय (समाज कल्याण विभाग)।

(ख) सदस्य सलाहकार समिति के 15 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। समाज कल्याण विभाग का अनुसंधान अनुभाग समन्वय समिति के सचिवालय के रूप में काम करेगा। और विशेष कार्य अधिकारी उसके सदस्य-मंत्री होंगे। सलाहकार समिति के सभी सदस्यों को भारत सरकार मनोनीत करेगी और उनमें निम्नलिखित शामिल होंगे।

(1) विभिन्न राज्यों में शिखर आदिमजाति संगठनों के मनोनीत सदस्य।

(2) इस कार्यक्रम से सम्बद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों और अखिल भारतीय सहकारी फेडरेशनों के प्रतिनिधि।

5. समिति का कार्य-काल

समन्वय समिति सामान्यतया दो वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगी। सरकार इस अवधि को बढ़ा सकती है।

6. समिति की बैठकें

समिति की साधारणतया 6 मास में कम से कम एक बैठक होगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

के० जी० एस० पिशारोडी, संयुक्त सचिव।

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1971

संकल्प

सं० 28-एम० टी० (19)/69—केन्द्रीय सरकार संकल्प संख्या 28-एम० टी० (19)/69 दिनांक 27 जून 1970; 10 फरवरी, 1971 और 18 मार्च, 1971 के साथ पठित नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० 28 एम टी० (19) 69 दिनांक 7 जनवरी, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. क्रम सं० 11 में उल्लिखित प्रविष्टि "श्री एस० डी० वसवन्त 164, नार्थ एवेन्यु, नयी दिल्ली" के स्थान पर प्रविष्टि श्री सलेभाई अब्दुल कादर 18, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-1" प्रतिस्थापित की जायगी।

2. क्रम सं० 18 में उल्लिखित प्रविष्टि "कप्तान बी० डी० कटारिया, मार्फत मैसर्स, डेम्पो स्टीमशिप लिमिटेड, मोती महल, जे० टाटा रोड, बंबई" के स्थान पर प्रविष्टि "कप्तान जी० पी० एस० भल्ला, कार्मशियल मैनेजर, मैसर्स साउथ इंडिया शिपिंग कार-पोरेशन लिमिटेड, धन बिल्डिंग 175/1, माण्ट रोड, मदरास-2" प्रतिस्थापित की जायेगी ।

3. क्रम सं० 20 में उल्लिखित प्रविष्टि "कप्तान बी० डी० हयूटन कप्तान ए० वी० मकस्वीनी (बोर्ड की कलकत्ता के लिये वैकल्पिक सदस्य) के स्थान पर प्रविष्टि "कप्तान डी० हयूटन/कप्तान वी० एस० पावरी (बोर्ड की कलकत्ता की बैठक के लिये वैकल्पिक सदस्य) प्रतिस्थापित की जायेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबंधित को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आर० तिरुमैल, संयुक्त सचिव

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अगस्त 1971

सं० ई० ई० एक/200/10/71—श्रम और पुनर्वास मंत्रालय, श्रम और रोजगार विभाग (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के संकल्प सं० ई० ई० एक 200/10/71 दिनांक 25-5-1971 में आंशिक परिवर्तन करते हुए, श्री एम० एम० कुमारी के स्थान पर पश्चिम बंगाल के योजना और विकास आयुक्त एवं पदेन सचिव, विकास विभाग, श्री जे० सी० तालुकदार को बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत सरकार के राजपत्र भाग एक अनुभाग (एक) में प्रकाशित किया जाय ।

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों तथा संबंधित अन्य सभी को भेजी जाय ।

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 8th September 1971

No. 58-Pres./71.—The President is pleased to direct that the following amendments shall be made in the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and the Police Medal published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of the 10th March, 1951, under notification No. 4-Pres./51, dated the 1st March, 1951, as amended from time to time :—

President's Police and Fire Services Medal

For Rule (3), the following shall be *substituted* :—

"The number of medals awarded for distinguished service in any one year shall not exceed 75. There will be no limit on the number of medals to be awarded for gallantry in any one year".

Police Medal

For Rule (3), the following shall be *substituted* :—

"The number of medals awarded for meritorious service in any one year (excluding BARS) shall not exceed 400. There will be no limit on the medals to be awarded for gallantry in any one year".

No. 59-Pres./71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Shyam Behari Richharia,
Circle Inspector of Police,
Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoit Parmal Kachhi, a survivor of dacoit Jagmohan Singh's gang, tried to form a gang of his own. On 3rd February, 1970, information was received that Parmal Kachhi with his three associates was hiding in the crops near the village Ajnodha. A raid was arranged and the field was cordoned by the Police. Two of the dacoits tried to escape through the cordon firing but were shot dead by Police party. The gang leader Parmal Kachhi, however remained in hiding. Shri Richharia then decided to enter the field and search for the dacoit. As they were searching the field Parmal Kachhi fired at the Police party. An exchange of fire took place in which this dacoit was shot dead. A kidnapped person was rescued.

In this encounter Shri Shyam Behari Richharia displayed most conspicuous gallantry and devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3rd February, 1970.

No. 60-Pres./71.—The President is pleased to award the President's Police and Fire Services Medal for gallantry to undermentioned officers of the Central Rserve Police Force :

Names and ranks of the officers

Shri M. S. Negi,
Jemadar,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Shri Bakhtawar Singh,
Constable,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Shri Udai Ram,
Head Constable,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 22nd September, 1970, an administrative patrol of a Company of the 8th Battalion of the Central Reserve Police Force was ordered to proceed with the Government dak to Karong at about 7.30 A.M. At about 9 A.M. when the patrol reached near village Bhainsa on the upper track of Nepali Karong, a shot was fired by a gang of hostiles. Soon thereafter, the patrol came within a well laid ambush on a bend in the road. The hostiles opened intensive fire on the patrol with automatic weapons from different directions. But the patrol Commander Shri Negi remained true to his soldierly bearing and in disregard of violent bullets, rushed towards the enemy position without caring for his personal safety. He was also accompanied by three Constables. All of them then came face to face with the enemy, and one of them was killed when he responded to call of 'charge' from the patrol commander.

In the meantime Shri Udai Ram, Head Constable who was leading the rear Section also came in and his Section Commander ordered his men to repel the hostiles. In this venture Shri Bakhtawar Singh, Constable, was seriously wounded but he continued to crawl and fire his rifle.

In this encounter Shri Negi along with his colleagues rushed towards the hostiles in order to divert their attention and deter them from exterminating the patrol and in order to provide time for the rear party to take effective position. The bullet-riddled body of Shri Negi and those of his colleagues were found close to the LMG position of the hostiles. Shri Udai Ram did not lose his nerve. On receiving signal from his LMG man, Shri Udai Ram made an attempt to deliver more magazines to him. While doing so he received a bullet in his side yet he continued to exhort the members of the patrol to keep firing. This encounter continued for half an hour till the arrival of the enforcement. He and his associates thus sacrificed their lives.

Thus Sarvashri M. S. Negi, Bakhtawar Singh and Udai Ram showed commendable courage and conspicuous gallantry in the encounter.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police and Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 22nd September, 1970.

No. 61-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Reserve Police Force :—

Names and ranks of the officers

Shri Asha Ram,
Head Constable,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Shri Kailash Chander,
Constable,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Shri Shanker Datt,
Constable,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Shri Jeewan, Chander,
Constable,
8th Battalion,
Central Reserve Police Force. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 22nd September, 1970 an administrative patrol of a Company of 8th Battalion of the Central Reserve Police Force was ordered to proceed with the Government dak to Karong at about 7.30 A.M. At about 9 A.M. when the patrol reached near village Bhainsa on the upper track of Nepali Karong, a shot was fired by a gang of hostiles. Soon thereafter the patrol came within a well laid ambush on a bend in the road. The hostiles opened intensive fire on the patrol from different directions. S/Shri Asha Ram, Jeewan Chander and Shanker Datt under the directions of the patrol commander rushed towards the enemy position in disregard of their personal safety. All of them thus came face to face with their well armed adversaries and died heroic death. Shri Kailash Chander was asked to charge by the Patrol Commander. He advanced towards the enemy positions in utter disregard of his personal safety. He was killed in the action.

In this encounter S/Shri Asha Ram, Kailash Chander Jeewan Chander and Shanker Datt exhibited conspicuous gallantry.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22nd September, 1970.

No. 62-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mysore Police :—

Name and rank of the officer

Shri Sugganahally Dyavegowda Nanjundegowda,
Police Constable No. 91,
District Hassan,
Mysore. (*Deceased*)

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of 28th August, 1969, when Shri Sugganahally Dyavegowda Nanjundegowda was going in plain clothes for taking meals in a hotel at Azad Road, after completion of duty, he saw that a crowd of 20-25 persons was chasing a person named Gopala who was drunk and was holding a dagger in his hand. Gopala was threatening the crowd with the dagger. Shri Nanjundegowda saw Gopala coming to his side. He caught hold of Gopala but Gopala gave a dagger blow to Gowda below his right shoulder and damaged his lungs and artery. Shri Gowda later died in the hospital.

In the above incident Shri Gowda risked his life in the performance of his duties by grappling with the desperate and dangerously armed person and knowing fully well that he was holding a dagger in his hand and was threatening the crowd.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 28th August, 1969.

No. 63-*Pres.*/71.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and rank of the officer

Shri R. K. Yadav,
Jemadar,
37th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In July, 1970, 37th Battalion of the Central Reserve Police Force was deployed in Srikakulam District of Andhra Pradesh. On the night of 29/30th July, 1970, information was received by the local Police that some extremists were preparing to commit loot, arson and murder in Ramrai Hills. A batch of the Police party with three Sections of the Central Reserve Police Force was immediately sent to the hideout of the extremists. One of the Sections of Central Reserve Police Force was led by Shri R. K. Yadav, Jemadar.

After travelling partly on vehicles and partly on foot the police party reached the suspected hide-out of the extremists at about 0500 hours on 30th July, 1970. For operation, the Police party was divided into two groups. One group led by Shri Yadav advanced towards the suspected hide-out of the extremists alongwith some local Police Officers. Ten extremists attacked the Police party and Shri R. K. Yadav, Jemadar. They threw crude bombs on the Police party. On the orders of the Deputy Superintendent of Police, the local Police fired pistols one round each in self defence but the extremists continued to press their attack. The Deputy Superintendent of Police then ordered Shri Yadav and three other constables who were lying in position with Shri Yadav to attack the extremists. Shri Yadav in complete disregard of his personal safety crawled forward towards the hide-out of the extremists and killed three extremists leaders.

In this encounter Shri R. K. Yadav displayed conspicuous gallantry and composure of mind and dauntless devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 30th July, 1970.

No. 64-*Pres.*/71—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police :—

Names and ranks of the officers

Shri Raghunandan Sharma,
Sub-Inspector of Police,
Station Officer, Ambah,

District Morena,
Madhya Pradesh.
Shri Balram Singh,
Constable No. 60,
District Morena,
Madhya Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Dacoit Risal Singh committed a number of murders in village Ruar and formed a gang of his own. On 24th September, 1970, Shri Raghunandan Sharma, Sub-Inspector of Police, received information about the presence of the dacoit Risal Singh with his associates in the ravines of village Ruar. Shri Sharma collected the Police force available and proceeded to tackle the gang. On search, the gang was located and an exchange of fire took place between the dacoit gang and the Police party. The dacoit gang was successful in disengaging the police and tried to flee. But Shri Sharma along with Constable Balram Singh gave a chase and cornered the gang-leader Risal Singh. Both Shri Sharma and Shri Balram Singh grappled with the dacoit but the dacoit gave blow to Shri Balram Singh with the butt of his rifle and fractured his arm. Shri Balram Singh continued to grapple with the dacoit inspite of his injury. The dacoit then tried to shoot Shri Sharma but Shri Sharma got hold of the barrel of dacoit's gun and the shot missed the mark. The dacoit reloaded his rifle but before he could shoot the Sub-Inspector, Shri Sharma shot the dacoit dead.

In the encounter, Shri Raghunandan Sharma and Shri Balram Singh displayed great devotion to duty and valour.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 24th September, 1970.

NAGENDRA SINGH, Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT
(Department of Statistics)

New Delhi, the 24th August 1971

No. M-13013/1/71-NSSI.—In continuation of this Department Notifications No. 8/7/66-Estt.II, dated the 5th December 1966 and No. 11/4/68-Tech., dated the 27th April 1970, the following officers have been nominated as members of the Standing Committee for Improvement of Industrial Statistics :—

1. Shri V. N. Amble, Joint Director, Central Statistical Organisation, *vice* Shri K. L. Saxsena.
2. Director of Statistics, Government of Tamil Nadu, Madras for a period of one year with effect from 5th December 1970 *vice* Economic and Statistical Adviser, Government of Haryana, Chandigarh.

H. L. KOHLI, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 22nd July 1971

RESOLUTION

No. 24-1(42)/70-Agri.—In partial modification of the Planning Commission's Resolution No. A.46011/1/70-Adm.I, dated the 28th March, 1970, setting up the Central Committee for Coordination of Rural Development and Employment, the Government of India have decided to nominate Dr. B. S. Minhas, Member, Planning Commission, to act as Chairman of this Committee with immediate effect. Vice-Chairman and other Members of this Committee remain the same as nominated in the above mentioned Resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries of the Government of India, all State Governments, Reserve Bank of India, State Bank of India, Life Insurance Corporation, Agricultural Refinance Corporation, Aural Electrification Corporation, etc.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. MITRA, Secy.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

CORRIGENDA

New Delhi, the 12th July 1971

No. 1/8/70-HC.—The address given in this Ministry's Resolution No. 1/8/70-HC, dated the 7th January, 1971 reconstituting the All India Handicrafts Board, as subsequently modified under this Ministry's Corrigendum of even number dated the 14th May 1971 in respect of Smt. Indira Luthra has been further amended as follows :—

S. No.

For

37. Smt. Indira Luthra, "Quasar Enver", Tripura Castle Road, Shillong.

Substitute

Smt. Indira Luthra, C/o Shri P. N. Luthra, Department of Rehabilitation, Branch Secretariat, 26-Shakespear Sarani, Calcutta-17.

The 10th August 1971

No. 1/8/70-HC.—The addresses given in this Ministry's Resolution No. 1/870-HC, dated the 7th January, 1971, reconstituting the All India Handicrafts Board, as subsequently modified, may be *substituted* as follows :—

In S. No.

For

7. Shri Tulsidas Jadhav, 150-North Avenue, New Delhi.

Substitute

Shri Tulsidas Jadhav, Ex-M.P., 195-Mirta Nagar, Sholapur.

For

23. Smt. Prakash Malik, 28-Golf Links, New Delhi.

Substitute

Smt. Prakash Malik, 7-Palam Marg, Vasant Vihar, New Delhi-23.

The 19th August 1971

No. 1/8/70-HC.—The addresses given in this Ministry's Resolution No. 1/8/70-SC, dated the 7th January, 1971, reconstituting the All India Handicrafts Board, as subsequently modified, may be *substituted* as follows :—

In S. No.

For

34. Shri Surya Prasad, 91-Khodapathi Colony, Laskar (M.P.).

Substitute

Shri Surya Prasad, Madhav Ganj, Laskar (M.P.).

T. S. PARAMESWARAN, Under Secy.

New Delhi, the 31st August 1971

No. 3(16)-Tex.(D)/70.—The President has been pleased allow Shri K. P. Narayan, to continue to officiate in the post of Executive Officer in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta for a further period of 3 months with effect from 1st July, 1971 or till the date the post is regularly filled, whichever is earlier.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum

RESOLUTION

New Delhi, the 26th August 1971

No. 28(11)/70-*OR*.—In partial modification of the Ministry of Petroleum and Chemicals and Mines and Metals (Department of Petroleum(Resolution No. 28(11)/70 OR, dated the 20th February, 1971, for paragraph 4, the following shall *substituted* :—

"The Commission will submit its report by 28th February, 1972"

ORDER

ORDRED that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, Government of West Bengal and all other concerned.

E. N. MANGAT RAI, Spl. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 21st August 1971

E. No. 11(27)/71-LI(*II*) -The Explosives Committee which was set up by the Government of India vide their Resulution No. 41/(8 68-LI(I) dated the 26th September, 1966 to examine the Indian Explosives Act, 1884 and the Explosives Rules, 1940, while submitting) their Report (Partion which Governments Orders have already been issued (vide Resolution No. 38(8) /68-LI(I) dated the 28th April, 1969), felt the need for examination of the Gas Cylinder Rules, 1940 and Notification No. M-1268(1) dated the 9th January, 1939 also, which were framed under the Indian Explosives Act, 1884. Accordingly, the Explosives Committee formed a Sub-Committee, with some of its members drawn from the Industry and Trade, to examine these Rules, and to suggest suitable amendments and revision wherever necessary, to suit the country's present requirements.

2. The gas Cylinder Rules Sub-Committee submitted its Report to the Explosives Committee, on the 24th September, 1969, which endorsed almost all the recommendations made therein and submitted it to Government as Part II of their Report in February 1970 The principal recommendations in the Sub-Committee is Report and Government's decisions thereon are as follows :—

Recommendations	Government's decision
(1)	(2)
1. Manufacture of cylinders and valves to be brought within the scope of the Rules. (Paragraph 8).	
The Committee has observed that neither the existing Gas Cylinder Rules, 1940 nor any other law at present regulate manufacture of cylinders, valves and unfired pressure vessels resulting in unscrupulous manufacture of substandard cylinders and valves which pose a grave danger to public safety. They have strongly recommended that manufacture of these items should be brought within the purview of the rules immediately.	Government accept the recommendation. Steps would be taken by the authorities concerned to implement it as early as possible.
2. *Formulation of a separate set of rules for the regulation of "Static unfired storage pressure vessels and tank vehicles for transport in bulk of compressed/ liquefied gases".* (Paragraph 10).	
The Committee have observed that the number of such vessels and tank vehicles is incressing at a considerable rate and there is no law in the country to regulate their design, fabrication, erection and installation. They have further pointed out that the conditions suitable for such vessels are different from those for gas cylinders but the dangers involved in these are more or less similar to those obtaining in other low pressure gas cylinders and Boilers which are governed by separate set of rules. The Committee have, therefore, suggested that a separate set of rules for this purpose should be framed under the Explosives Act so as to be administered by the Department of Explosives.	Government accept the recommendation.
3. *Licensing of filling stations and places of storege of gas cylinders.* (Paragraph 16).	
The Committee have observed that there is great lacuna in the existing rules in respect of control over gas filling stations and storage places of gas filled cylinders. They came across many ill-equipped and ill-staffed factories and places of stortages without maintaining and record of the cylinders filled and tested. The Department of Explosives is, therefore unable to have any authentic information about such palces and cannot enforce the rules properly. The Committee *have, therefore, recommednded that all premises where cylinders are filled with* gas and places of storage of gas filled cylinders should be licensed by providing additional provisions in this respect in the existing rules.	Government accept the recommendation. Steps would be taken to implement it as early as possible.
4. Establishment of testing stations to ensure that the gas cylinders *are properly and regularly tested* (Paragraph 14).	
The Committee have observed that the present rules regulating the testing of cylinders and periodicity of tests are inadequate. The testing of cylinders is done merely as a formarliy without proper equipment and by adopting incorrect methods. Taking into account the present dilliculties and practices obtaining in other advanced countries, the Committee have recommended setting up of	Government accept the recommendation. The implementation of this recommendation will however, be subject to Government's prior approval with regard to financial implication involved.

1	2
parate testing stations to be approved by the Chief Inspector of Explosives so as to ensure that gas cylinders are properly and regularly tested and examined. They have made specific recommendations regarding the manner, methods, procedure and periodicity of different types of tests and examination of such cylinders and also qualifications of persons responsible for such tests.	
5. *Others miscellaneous amendments/ revisions in the existing rules* The Committee have suggested several other miscellaneous amendments/ modifications in the existing rules 2 to 19 of the Gas Cylinder Rules, 1940 so as to make them more comprehensive and elaborate and to bring improvement therein keeping in view the safety of pubilc and property and intetest of the industry. These are mostly of technical nature.	Government accept the recommendation.
6. *Additional provisions suggested by the Committee* (Paragraph 30-47). Apart from the amendments revisions/modifications in the existing provisions of the Gas Cylinder Rules, 1940. as mentioned above, the Committee have recommended several additional provisions to be made in the rules. The new provisions relate to the following:—	Government accept the recommendation.
(*i*) delivery and despatch of cylinders,	Government accept these recommendations.
(*ii*) prohibition of fires, matches, smoking, light and dangerous substances near the gas filling and storage places; check on employment of minors and intoxicated persons for handling, use and storage of gas cylinders.	
(*iii*) Special precautions for highly toxic gases.	
(*iv*) disposal of condemned cylinders.	
(*v*) restrictions on use of cylinders.	
(*vi*) filling of foreign made cylinders for exports.	
(*vii*) precaution against accidents.	
(*viii*) specific provisions for finences on the lines of those obtaining in the Explosives Rules, which are not provided in the existing rules at present.	
(*ix*) Licensing for importation of cylinders by land, sea and air.	
(*x*) maintenance of records and accounts by the fillers and storage places etc.	
7. *Provions of a separate comprehensive chapter for Dissolved Acetylene Gas Cylinders* (Paragraph 48). These cylinders are at present regulated by a Government Notification No. M-1268(1) dated 9th Jaunary, 1939 which does not form part of the existing Gas Cylinder Rules. This was regulated separately because of the highly dangerous properties of this gas requiring special precautions and conditions. The Committee feels that as all the factories which bottle acetylene gas also bottle Oxygen gas, it would be better for the sake of uniformity and better coordination that a separate chapter on dissolved acetylene gas cylinders is provided in the Gas Cylinder Rules themselves incorporating therin all the existing conditions of the present notification. They have also recommended several additional provisions about such cylinders to be incorporated in the new chapter on the Gas Cylinder Rules.	Government accept the recommendation.
8. *Establishment of a Board for issue of competency certificates to persons employed in filing and testing of gas cylinders and supervising operations in gas filing stations.* (Para 42). The Committee have recommended establishment of a Board for the above purpose . They have also recommended that provision should be made in the rules for employment by filling stations and storage places, of only such persons who have competency certificates issued by the proposed Board.	Government do not agree to the establishment of the proposed Board at this stage without going into its details. They have, however, taken note of this recommendation for further examination in consultation with the Chief Inspector of Explosives.
9. *Establishment of a Technical Advisory Committee to advise the Deptt. of Explosives to make it a live and dynamic organisation.* (Paragraph 43). The Committee have suggested that although the Chief Inspector of Explosives has powers to relax rules, whenever problems of testing, inspection etc. arise, the fast developments in the field of manufacture make it desirable for him to have a technical advisory committee to consult, discuss and take advice on the major technological developments to bring within the scope of the Gas Cylinder Rules, new materials, methods of manufacture, testing etc. The proposed Committee should meet periodically.	Government accept the recommendation. the Chief Inspector of Explosives would formulate necessary proposals for the constitution of the Committee, for Government's consideration and approval.
10. *Re-organisation of the Deptt. of Explosives to make it a live and dynamic organisation.*	

(1)	(2)
(Para 54).	
The Committee have observed that the officers of the Deptt. of Explosives are already overworked and are unable to do full justice to the administration of the Gas Cylinders Rules even in its present form. The workload involved in the implementation of the present recommendations of the Committee as accepted by Government and in the administration of the revised rules thereafter would be still greater. In order, therefore, to do full justice to the requirements of the rules, they have recommended reorganisation of the Department in the following manner :— (*a*) The Department should have a separate wing to administer the Gas Cylinder Rules under a full time officer of the rank of Deputy Chief Inspector of Explosives with a complement of staff. (*b*) the regional offices should have a separate cell each under the charge of a full time Inspector of Explosives under the overall charge of the head of that regional office.	Government accept the recommendation subject to the condition that its implementation will require prior approval of Government.
11. *Training of the officers of the Department of Explosives both during probation of the new recruits and refresher courses during the service.* (Paragraph 55).	
The Committee have suggested that the officers of the Department of Explosives should have training and refresher courses to aquaint themselves with the working of the gas Cylinder industry in all its aspects for enforcement of the rules properly. The Committee have left it to the Chief Inspector of explosives to decide the manner in which this suggestion is to be implemented by him.	Government accept the recommendation. The Chief Inspector of Explosives would examine this further and obtain prior approval of the Government to its implementation.
12. *Competency certificate* (Para 56). The Committee have suggested that if the recommendations for setting up of a Board for issue of competency certificates is not accepted immediately, some method should be devised by which it is ensured that only competent men are in charge of the factories manufacturing cylinders and filling stations, and such persons should also be fully equipped with the knowledge of the rules. 13. Suggestion for appointing a senior Officer of the Deptt. of Explosives as full time O.S.D. for evolving various proposals and processing them for implementation of the recommendations of the Committee in regard to Gas Cylinder Rules.	The Chief Inspector of Explosives should examine the suggestion of the Committee in the light of Governments decision on the Establishment of a Board for issue of Competency Certificates and report to Government with proposals, if any, in this respect Government's approval. Government do not agree with this suggestion

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it may be published in the Gazette of India.

C. Balasubramaniam, Joint Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Cooperation)

New Delhi, the 21st August 1971

No. L.11011/7/70-Coord.—The Government of India in their Notification No. L.11011/7/70-Coord., dated the 4th March, 1971 had set up an Expert Committee on Multi-unit Cooperative Societies Law. The period within which this Committee shall submit its report is hereby extended up to the 31st December, 1971.

ORDER

ORDERED that a copy of the Notification be communicated to the Chairman and other members of the Committee and all others concerned.

ORDERED also that the Notification be published in the Gazette of India for general information.

K. S. BAWA, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Social Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 31st August 1971

No. 13/2/71-RU.—In pursuance of para 4 of this Department's Resolution No. 13/2/71-RU, dated the 31st August, 1971 the Government of India hereby nominate the following persons to be members of the Coordination Committee of the Apex Tribal Cooperative organisations for a period of two years from the date of this resolution :

Chairman

1. Shri K. G. S. Pisharody, Director General and *Ex-officio* Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Education and Social Welfare, Department of Social Welfare, New Delhi.

Members

2. Shri V. G. Puranik, Director (Processing), National Cooperative Development Corporation, C-56, South Extension (II), New Delhi-49.
3. The Assistant Inspector-General of Forests (Forest Industries), Ministry of Agriculture, New Delhi.
4. Shri A. Sarkar, Director, Department of Cooperation, Ministry of Agriculture, New Delhi.
5. Shri B. D. Dwivedi, Manager (Mktg.), National Agricultural Cooperative Marketing Federation, D-44, (Annexe D-43), South Extension, Part II, New Delhi.
6. Shri V. Chandra Mowli, Managing Director, Girijan Co-op. Co-operation Ltd., Andhra Pradesh, Visakhapatnam.
7. Shri C. B. Prasad, Chairman, Bihar State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd., *Ex-officio* Secretary to the Government of Bihar, Welfare Department, Patna.
8. Shri Vyankatrao Tanaji Dhobi, Chairman, Maharashtra Rajya Jungle Kamgar Sahakari Sangh, Ltd., S. S. Satpute's Bunglow, "Geetanjali", 23-Ashok Nagar, Poona-7.
9. Chairman, Madhya Pradesh State Tribal Cooperative Development Corporation Ltd., Bhopal.
10. Shri P. R. Chandra, President, Orissa State Forest Produce Marketing Cooperative Society Ltd., Bhubaneswar-3.

Member-Secretary

11. Shri S. K. Kaul, Officer on Special Duty, Department of Social Welfare, Government of India, New Delhi.

ORDER

ORDERED that the above resolution be published in the Gazette of India.

K. G. S. PISHARODY, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(Department of Social Welfare)

New Delhi, the 31st August 1971

No. 13/2/71-*RU*.—In a number of States, apex Tribal Co-operative Organisations have come into being for the welfare of tribal people and specifically to improve their economic condition by organising a strong cooperative net work in tribal areas and thereby eliminating the middlemen.

2. At a meeting of the Tribal apex Cooperative Organisations held at Bhubaneswar on 2nd June, 1970 it was recommended that a Coordination Committee of the Apex Tribal Cooperative Organisations be constituted. The Government of India have considered the recommendation and are of the view that a Coordination Committee as recommended is necessary. It is, therefore, resolved to constitute a Coordination Committee with the following functions and composition.

3. *Functions of the Coordination Committee* :

The Coordination Committee will coordinate the activities and working of the Tribal Apex Cooperative Organisations. render assistance in organising sales and provide for exchange of views, experience and market intelligence.

4. *Composition of the Coordination Committee* :

(a) *Chairman*

Director General, Backward Classes Welfare and *Ex-officio* Joint Secretary to the Government of India, Ministry of Education & Social Welfare (Department of Social Welfare).

(b) *Members*

There will be not more than 15 members of the Advisory Committee. Research Section in the Department of Social Welfare will function as secretariat of the Co-ordination Committee and Officer on Special Duty will be its Member-Secretary. All the members of the Advisory Committee will be nominated by the Government of India and will include;

(i) nominees of the apex Tribal Organisations in various States;

(ii) representatives from the Central Ministries and the All India Cooperative Federations concerned with the programme.

5. *Tenure of the Committee*

The Coordination Committee will normally hold office for a period of two years. Government may extend this period.

6. *Meetings of the Committee*

The Committee will ordniarily meet not less than once in six months.

ORDER

ORDERED that the above resolution be published in Gazette of India.

K. G. S. PISHARODY, Jt. Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

Department of Labour and Employment (D.G.E. & T.)

RESOLUTION

New Delhi, the 30th August 1971

No. EEI/200/10/71.—In modification of the Ministry of Labour and Rehabilitation, Department of Labour and Employment (D.G.E.&T.) Resolution No. EEI/200/10/71, dated 24th May, 1971, Shri J. C. Talukdar, Commissioner for Planning and Development and *Ex-Officio* Secretary, Department of Development, Government of West Bengal, is appointed as a Member of the Expert Committee on Un-Employment *vice* Shri M. M. Kusari.

ORDER

ORDERED that the Resolution to be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

MINISTRY OF TRANSPORT AND SHIPPING

(Transport Wing)

New Delhi, the 28th August 1971

No. 28-*MT*(19)/69.—The Central Government is pleased to make the following amendments to the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. 28-MT(19)/69, dated the 7th January, 1970 read with Resolution No. 28-MT(19)/69, dated the 27th June 1970, 10th February, 1971 and 18th March, 1971 :—

1. *For* the entry "Shri S. D. Baswant, 164, North Avenue, New Delhi." appearing against Serial No. 11, the entry "Shri Salebhoy Abdul Kadar, 18, Ferozshah Road, New Delhi-1". shall be *substituted*.

2. *For* the entry "Capt. B. D. Kataria, C/o M/s. Dempo Steamships Ltd., Moti Mahal, J. Tata Road, Bombay." appearing against Serial No. 18, the entry "Capt. G. P. S. Bhalla, Commercial Manager, M/s. South India Shipping Corporation Ltd., Dhun Building, 175/1, Mount Road, Madras-2." shall be *substituted*.

3. *For* the entry "Capt. D. Houghton/Capt. A. B. McSweeney (alternate member in the event of the Board's meeting in Calcutta)." appearing against Serial No. 20, the entry "Capt. D. Houghton/Capt. B. S. Pavri (alternate member in the event of the Board's meeting in Calcutta." shall be *substituted*.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. TIRUMALAI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971